<u>न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद संख्या–१२९/२०१७</u>
CIS NO.- 561/2018

बीवी जुबैदा खातून.....वादिनी

बनाम

शेख फरमान एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

23.03.21 उभय पक्ष की पैरवी है। वादिनी की ओर से एक आवेदन दिनांक 16.01.20 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 के तहत दाखिल किया गया है, जिस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 25.01.21 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

वादिनी का अपने आवेदन में कहना है कि वादपद के गठन के समय वादिनी को यह पता चला कि वादपत्र के मद नं0–3 व 4 में वर्णित भूमि भूल से एक ही दर्ज हो गया है। इसलिए वादपत्र से मद नं0–3 को विलोपित करते हुए मद नं0–4 को मद नं0–3 बनाया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा इससे वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

इस संबंध में प्रतिवादीगण का कहना है कि वादिनी का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि में चलने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। यह कि वादिनी का आवेदन आधारहीन है तथा जान बूझकर वाद के निष्पादन को विलंबित करने के लिए प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया गया है। अतः वादिनी का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि वादिनी अपने आवेदन के माध्यम से वादपत्र में जिन तथ्यों को जोड़ना चाहती है वह औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है तथा उससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव होता प्रतीत नहीं होता है। ऐसी दशा में न्याय हित में वादिनी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई दिनांक 13.04.21

अवर न्यायाधीश (प्रथम)